फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2023/154

बअनवान स्व.भोपाल के का.मु. बनाम हरीश चन्द्र के का. मु. शान्ता अग्रवाल वगैरा

वाद अंतर्गत धारा 88,89,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
08/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित । वकील प्रतिवादी संख्या 01 श्री गणपतलाल चौधरी एवं वकीलवादी श्री अमृत परिहार की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के माध्यम से दलील दी जा रही है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 स्व. हरीचन्द्र जी के जीवनकाल में तारीख 26.08.1974 को भोपाल, पुनमा, पिंसरान मनरूप पुरोहित निवासी सेसली द्वारा अपना 1/4 हिस्सा जरीये रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेय द्वारा बेचान किया गया हैं तथा बेचाननामा दिनांक 26.08.1974 के आधार पर सहायक भु प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर के द्वारा सैटलमेण्ट कार्यवाही के दौरान पत्रावली सं. 1113/83 में पारित निर्णय दिनांक 20.10.1983 के आधार पर वादग्रस्त भुमि के 1/4 हिस्सा के खातेदार प्रतिवादी स. 1 दर्ज हुए है, जिससे वादीगण के उक्त वाद में वाद हेतुक उत्पन्न नही होने से वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों अनुसार कानुनन चलने योग्य नही ,होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई है। इसके विपरीत वादी पक्ष की दलील है कि भोपाल,पुनमा पुत्रगण मनरूप जी ने कभी भी प्रतिवादी के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित/पंजीकृत नही करवाया है जिससे प्रतिवादी पक्ष को सह खातेदारी के हक हस्तांरित नही होते है जिससे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज कर प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष का जवाब प्राप्त कर गुणावगुण पर निर्णित किए जाने की दलील दी गई। प्रतिवादी पक्ष द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत कानुनी दृष्टांत 1. आरआरटी 2025(1) पेज 41 2. आरआरटी 2025(1) पेज 55 3. आरआरटी 2025(1) पेज 684 4. आरजेटी, (सिविल) 2025 (2) पेज 885 में पारित निर्णयो में प्रतिपादित सिद्वान्तों पर भी मनन किया गया एवं आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में विधिक प्रावधानों पर भी मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात है कि वादीगण मनरूप जी के पुत्र भोपाल व पुनम सिंह के वारिसान है तथा प्रतिवादी पक्ष द्वारा उपलब्ध प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत बेचान रजिस्ट्री दिनांक 26.08.1974 की सत्यापित प्रति के अनुसार भोपाल, पुनमा, पीसरान मनरूप जी ने वादग्रस्त भुमि सेसली के खसरा न. 59 रकबा 12.50 बीघा 3 बिस्वा, खसरा न. 62/1 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा खसरा न. 62/2 रकबा 22 बीघा, 6 बिस्वा, खसरा न. 62/3 रकबा 12.5 बीघा, 4 बिस्वा, खसरा न. 62 रकबा 5 बिस्वा मे निहित वादीगण के पुर्वजों का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में जरीये रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख के हस्तांरित कर दिये है तथा दोराने भुप्रबन्ध कार्यवाही मिसल सं. 1113/83 कायम की जा कर प्रतिवादी स. 1 को बेचान	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	रजिस्टरी अनुसार गत खसरा न. से बने ग्राम सेसली के हाल खसरा न. 139 से 141, 149 से 154 व 164 से 169 के 1/4 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी स. 1 को दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। वादीपक्ष द्वारा वादग्रस्त भूमि की प्रस्तुत वर्तमान जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 की प्रति में दर्ज इन्द्राज के अनुसार प्रतिवादी से. 1 वादग्रस्त भुमि में 1/4 हिस्सा सहखातेदार दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्यों से तथा वर्णित कथनों से उक्त प्रकरण में वादहेतुक उत्पन्न नही होता है जिससे प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी के उक्त वाद को खारिज किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा ग्राम सेसली स्थित भूमि खसरा न. 139,140,150,151,152,153,154,164,165,166,167,168 कुल 12 कुल रकबा 3.63 हैक्टर के 1/4 हिस्सा की घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद हेतुक के अभाव में खारिज किया जाता है करे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।
न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)	सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–

1 स्व. भोपाल पुत्र मनरूप जी जाति–पुरोहित निवासी– सेसली तहसील – बाली जिला पाली के कायम मुकाम वारिसान एवं वैध प्रतिनिधिगण–

क. रमेशसिंह पुत्र स्व. भोपालजी
ख. अशोकसिंह पुत्र स्व. भोपालजी
ग. गणपतसिंह पुत्र स्व. भोपालजी
घ. कमला पुत्री स्व भोपालजी(धर्मपत्नि शंकरसिंह जी)
ड. भारती पुत्री स्व भोपालजी (धर्मपत्नि रमेशसिंह जी)

2. स्व. पूनमसिंह पुत्र मनरूप जी जाति – पुरोहित निवासी – सेसली तहसील– बाली जिला– पाली(राज.) के कायम मुकाम वारिसान एवं वैध प्रतिनिधिगण–

क. पर्वतसिंह पुत्र स्व पूनमसिंह
ख. शंकरसिंह पुत्र स्व. पूनमसिंह

तमााम जाति – पुरोहित निवासी –सेसली तहसील– बाली जिला पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व. हरीशचन्द पुत्र गणेशमलजी अग्रवाली जाति – अग्रवाल निवासी लुणावा तहसील बाली जिला पाली के कायम मुकाम वारिसान एवं वैध प्रतिनिधिगण–
   क. शान्ता अग्रवाल पत्नि स्व. हरीशचन्द
   ख. मोहित अग्रवाल पुत्र स्व. हरीशचन्द
   तमाम जाति– अग्रवाल निवासी– रानी स्टेशन तहसील रानी जिला पाली(राज)
2. कुसुम कवंर पुत्री कानसिंह(धर्मपत्नि जगदीशसिंह जी) नि. पुराडा तहसील सुमेरपुर
3. गोविन्दसंह पुत्र रावतींग
4. जवान पुत्र भूरा
5. स्व. जावता पुत्र रामा के कायम मुकाम वारिसान–
   5/1 चिमनसिंह पुत्र स्व जावता
   5/2 सुरेशसिंह पुत्र पुत्र स्व जावता
   5/3 फुटरसिंह पुत्र पुत्र स्व जावता
6. नरपतसिंह पुत्र कानसिंह
7. नारायणसिंह पुत्र रावतींग
8. प्यारी पत्नि रावतींग
9. प्रकाशसिंह पुत्र रावतींग
10. भवरसिंह पुत्र रावतींग
11. रेखा कुवर पुत्री कानसिंह(धर्मपत्नि मदनसिंह)
12. वरदा पुत्र रामा
13. शान्ति देवी पत्नि कानसिंह
14. हगाबाई पत्नि पोकर तमाम जाति– पुरोहित निवासी सेसली तहसील बाली जिला पाली(राज)
15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2023/154

वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08-12-25 को जारी किया गया।

मोहर

(न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.))

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner